पंचायत निगरानी संख्या : 314 / 2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 314 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 394

प्रार्थी :–

1. नरपतसिंह पुत्र श्री चतुर्भुजसिंह जाति राजपुरोहित
2. प्रभुसिंह पुत्र श्री जवारसिंहजी, जाति राजपुरोहित
3. धनाराम पुत्र भीखाजी, जाति मीणा,
4. पुरण कुमार पुत्र मूलारामजी, जाति मीणा,
5. पुनाराम पुत्र भलारामजी, जाति मेघवाल, तमाम निवासीगण नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पेमाराम पुत्र नेतीरामजी, जाति राईका, अध्यक्ष राईका समाज न्याति, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली, राज.
2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम आदेश दिनांक 20.07.2002 सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा को खारिज कराने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांकः 28.04.2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **आदेश दिनांक 20.07.2002 सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा को खारिज करने हेतु** पेश की।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली ने दिनांक 20.07.2022 प्रस्ताव संख्या 22 में एक भूखड जो बमाप 45 बाई 60 फीट यानि 2700 वर्गफीट का ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा सार्वजनिक जगह जहां पर गायों के बैठने तथा गायों का बाडा पूर्व से आया हुआ हैं, उक्त जमीन सार्वजनिक हित–हितार्थ हेतु पूर्व से थी, इस कारण से प्रार्थीगण सभी जाति के जिसमें राजपुरोहित, मेघवाल व मीणा का हित–हितार्थ हैं, ने उक्त पट्टे को खारिज करने हेतु न्यायालय में निगरानी पेश की है।

यह, कि उक्त पट्टा कानून की मंशा के विरूद्व बनाया गया हैं, कारण कि अध्यक्ष पेमाराम जो कथाकथित हैं, किसी तरह का राईका समाज का रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तथा कथित सरपंच गहरीदेवी जिसके समय से पट्टा जारी हुआ है तथा पट्टा जारी करने का

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

आदेश दिया है, जो पेमाराम की पत्नि है, नियम के अनुसार पदाधिकारी रहते हुए अपने हित के लिए स्वयं व अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आवंटन नही कर सकता है। उक्त आवंटन जो पेमाराम के नाम किया है, वहां आज भी न तो किसी का कब्जा है, न ही कोई कब्जाधारी है,उक्त जमीन गायों की है।

यह, कि उक्त जमीन पर तथाकथित पट्टे की ओट में पेमाराम स्वयं मौके पर नींव खुदाने एवं उस पर इमारत बनाने पर आमादा है, तब ग्रामवासियों ने पेमाराम को कार्य करने से रूकवाया तब पेमाराम ने तथाकथित पट्टा बताया, तब ग्रामवासियों ने जिसकी रिपोर्ट सम्पूर्ण गांव वालों ने ग्राम पंचायत नेतरा, विकास अधिकारी सुमेरपुर तथा पुलिस थाना सुमेरपुर में भी इसकी शिकायतें दर्ज करवायी है। मगर पेमाराम सभी जगह इस पट्टे की आड में काम करने के लिए तुला हुआ है, जो कानून की मंशा के विरूद्ध है, इस कारण से भी पट्टे को खारिज करना लाजमी है।

यह है कि पेमाराम द्वारा कभी भी सरपंच के सम्मुख इस पट्टे बाबत् कोई आवेदन पेश नहीं किया है, न ही ऐसा आवेदन मिसल में है।

यह है कि पंचायत नियमानुसार जो साधारण नियम बने हुए हैं, जो 145 से 157 (ख) तक की कोई पालना नहीं हैं, प्रस्ताव संख्या 43 जिसमें धारा 146 (2) जो भूमि स्थल बाबत् निरीक्षण करना होता हैं, जिसमें तीन पंचों की कमेटी बनाई जाती हैं, तथा उसकी रिपोर्ट 15 दिन में पेश करनी होती है। पंचायत ने न तो तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया व तीन वार्ड पंच कौन थे, प्रस्ताव में अंकित नहीं है, न ही निरीक्षण प्रपत्र पर तीन वार्ड पंचों के हस्ताक्षर भी नहीं है, मात्र दो नाम लिखे हुए है, उस दो नामों के आगे न तो जाति, न वलदियत, न ही कोई वार्ड पंच की सील है। उक्त कार्यवाही 146 (2) की बाले–बाले घर बैठ कर फॉर्म भर कर की गई है एवं सरपंच सील के उपर फुलाराम लिखा हुआ है, यह फुलाराम कौन हैं, इसका कहीं जिक नहीं है। पुरी सरपंच व वार्ड पंचों की कमेटी में फुलाराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण से जो फुलाराम के हस्ताक्षर किस बाबत् हुए इस कारण से भी उक्त आदेश खारिज करना लाजमी हैं। नियम 146 की कोई पालना नहीं हुई हैं, न ही पंचो की राय के आधार पर निर्णय किया गया हैं। साथ ही प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 20.03.2001 में इस संबंध में ग्राम सभा दिनांक.....प्रस्ताव संख्या.....खाली जगह मिसल व प्रस्ताव 32 में छोडी हुई हैं, जो कानून की मंशा के विरूद्ध है। सभी कार्यवाही बाले–बाले है, जो कानून की अवेहलना की हैं।

यह है कि पंचायती राज नियम 148 (1) जो आक्षेपों को आमंत्रित करना होता हैं, जिसकी नोटिस सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करना होता हैं, जबकि सरपंच गहरी देवी के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

हस्ताक्षरशुदा नोटिस पर पुष्ठ पर केसाराम रेबारी व बद्दाराम रेबारी के हस्ताक्षर व अंगुष्ठा हैं एवम् इन हस्ताक्षरों के उपर एक प्रति राईका समाज न्याति-न्यौरा नेतरा की भूमि पर चस्पा की गई, मगर चस्पा करने की तारीख 14.12.2001 लिखी हुई है, उस वक्त न तो न्याति-न्यौरा था, न ही कोई चार दीवारी। आज भी वर्तमान में भी कोई इमारात एवं बाउन्ड्री नहीं हैं, तब कौनसे न्यौरे पर चस्पा किया गया, कोई न्यौरे का अस्तित्व नहीं था। सभी कार्यवाही बाले-बाले गलत तरीके से की हैं, जो खारिज करना लाजमी है। आक्षेपों बाबत् गांव के चोटे में नोटिस चस्पा करना चाहिए था, जो नहीं करके नियम 149 की पालना नहीं है। प्रस्ताव संख्या 11 में दिनांक 20.01.2002 को आपत्ति का प्रकाशन होना चाहिए था, जो नहीं होकर के कानूनी भूल की है। किसी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया हैं एवम् प्रस्ताव संख्या जो तथाकथित बताया हैं, जिसमें उक्त जमीन पुश्तैनी कब्जा की पुष्टि दो गवाहों की बताई हैं, जो दो गवाह छौलाराम देबासी व सवाराम मोतीजी के बयान लिए गए हैं, उस बयानों से भी साफ जाहिर हैं कि जो अडौस-पडौस बताए हैं, उसमें तीन तरफ रास्ते एवं दक्षिण दिशा में भी रास्ता बताया गया है, यानि की जो तथाकथित भूमि बताई हैं, उसके चारो ओर रास्ता बताया हैं तथा दक्षिण में गायों का बाडा बताया हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त पट्टे की जमीन गायों के उठने-बैठने की थी तथा बाद में गायों को बाडे में डाला जाता था। यह सम्पूर्ण गांव की सार्वजनिक जमीन हैं, इस जमीन में सार्वजनिक होने के नाते पंचायत को किसी समाज को पट्टा देने का कोई हक अधिकार नहीं है। इस कारण से भी उक्त आदेश के पट्टे को निरस्त करना लाजमी है।

यह, कि प्रस्ताव संख्या 11 में पुश्तैनी कब्जा बताया हैं, वो किस आधार पर बताया हैं जबकि राईकों के मकान भी इससे काफी दूरी पर है। उक्त पट्टा गहरी देवी सरपंच रहते हुये अपने परिवार का हित रखकर अपने पति का तथाकथित राईका समाज का अध्यक्ष बताकर स्वयं के नाम जो पट्टा बनाया है, जो खारिज करना लाजमी है।

यह भी कि प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 को जो प्रस्ताव में बताया गया हैं कि प्रस्ताव संख्या 11 के पुराने कब्जे की पुष्टि के आधार पर एवं दो गवाहों के आधार पर जो बताया गया हैं, जबकि गवाह सवाराम मोतीजी इसी परिवार का सदस्य हैं तथा छेलाराम देवासी मीणा जो पेमाराम के राखी-ताथा किया हुआ हैं, इस कारण से बाले-बाले यह गवाह दी गई हैं तथा राईका समाज व पेमाराम का कोई आज दिन तक कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के नियम 157 (ख) में जारी किया गया हैं तथा इसे 200/- रूपये पुराना कब्जा मानते हुए निर्धारित किए हैं तथा इन्होनें आगे अपने प्रस्ताव में यह भी कहा कि कमजोर वर्गो के लिए तथा 1000/- रूपये से अधिक व 2000/- रूपये से कम 5000 वर्गमीटर लिया हुआ हैं, मगर कितनी राशि है, वो कोई अंकित नहीं है। इस नेतरा गांव में अधिकतम बस्ती रांजपुरोहित,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

मीणा व मेघवाल जिनके करीब 100–100 घर हैं, मगर देवासियों के करीब 25 घर है। गांव में किसी भी जाति का न्यौरा नहीं हैं न ही पंचायत को समाज के नाम पट्टा जारी करने का अधिकार हैं तथा आखिरी आदेश में वर्गफीट, रूपये इत्यादि में सभी काट–छाट की हुई है, जिससे भी साफ जाहिर है कि उक्त कार्यवाही घर बैठकर के बाले–बाले की हैं।

यह, कि स्वीकृति प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 जो प्रस्ताव लिया है तथा इसी प्रस्ताव की बैठक में स्वीकृति दी हैं स्वीकृति के अंत में सरपंच गहरी देवी के हस्ताक्षर हैं तथा जो आबादी भूमि का निःशुल्क पट्टा जारी किया हैं धारा 158 के अंतर्गत हैं, जिसमें सरपंच की मोहर पर शिवलाल देवासी के हस्ताक्षर है। पंचायत स्वीकृति आदेश दिनांक 20.07.2002 का हैं तथा सनद की स्वीकृति कर जारी कर दी हैं मगर सनद एवं पट्टे की राशि की रसीद नहीं काटी हैं, जबकि स्वीकृति के 15 दिन के लगभग रूपये सरकार में जमा होकर प्रार्थी के हक में पट्टा जारी होता हैं। जबकि प्रार्थी ने रसीद नम्बर 87, बुक नम्बर 2555, दिनांक 10.10.2014 रूपये 1240/– का लिखा हुआ हैं, जो इबारत एक जगह ही बाद में लिखी हुई हैं, यानि की पट्टे की राशि 12 वर्ष बाद में रसीद कटी है। राशि जमा होने के 12 वर्ष पहले ही पंचायत अप्रार्थी को पट्टा जारी कर दिया, जबकि राशि पहले जमा होती हैं, बाद पट्टा जारी होता हैं। इस कारण से ऐसा तथाकथित पट्टा अपने आप में निरस्त माना जाता है।

यह, कि निःशुल्क पट्टा 1000 फुट से अधिक नहीं होता हैं, जो इन्होंने 45 बाई 60 फीट का यानि की 2700 वर्गफीट का पट्टा जारी किया है, जो भी कानून की मंशा के विरूद्व हैं, इस कारण से भी पट्टा खारिज करना लाजमी हैं।

अतः निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 20.07.2002 एवं पट्टा संख्या 82 को निरस्त फरमावें का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से काबिल अधिवक्ता ने निगरानी याचिका का निम्नानुसार जवाब पेश किया :–

1. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन आदेश कानूनी सम्मत आदेश हैं।
2. प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो गलत होने से अस्वीकार हैं। अपीलाधीन आदेश विधि विधान की प्रकिया के बाद जारी किया गया है, जो कानून सम्मत आदेश हैं।
3. प्रार्थना–पत्र का पद संख्या तीन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को कानूनन उपरोक्त निगरानी पेश करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। तमाम प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक से रंजिश रखते है जिस कारण उन्होने सरासर गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त निगरानी अप्रार्थी संख्या एक को पक्षकार बनते हुये पेश की है। ग्राम पंचायत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 की अनुपालना में दिनांक 10.10.2014 को पट्टा संख्या 88 जरिये पत्रावली संख्या 36/1997–98 के अनुसार ग्राम नेतरा में 45 फीट बाई 60 फीट यानि 2700 वर्गफीट का पट्टा राईका समाज न्याति नोहरा नेतरा के नाम से जारी किया गया है। जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में पंजीबद्व तारीख 09.06.2015 को करवा दिया हैं जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 319 में पृष्ठ संख्या 58 के कम संख्या 2015002513 पर उप पंजीयक कार्यालय सुमेरपुर में पंजीबद्व है, इस प्रकार पंजीबद्व पट्टा को चुनौती देने बाबत् इस न्यायालय में निगरानी पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। पट्टा रजिस्टर्ड होने के बाद पट्टे को निरस्त करवाने का क्षैत्राधिकार कानूनन सिविल न्यायालय को चला जाता है जिस कारण रजिस्टर्ड सुदा पट्टे को खारिज करवाने हेतु पेश की गयी उपरोक्त निगरानी काबिल खारिज है। पट्टा राईका समाज न्याति नौहरा नेतरा हेतु जारी किया गया है वह सही व वैद्य पट्टा है जो पट्टा सार्वजनिक जगह यानि गायों के बैठने का स्थान एवं गायों का वाडा का भूमि पर नहीं बनाया गया हैं न ही उक्त जमीन उक्त बाडे की भूमि सार्वजनिक हित हितार्थ हेतु सरक्षित रखी गयी भूमि रही है। गायों का बाडा इस पट्टा सुदा जमीन के पास ही लम्बा चौडा आया हुआ स्थित है। जिसके पक्की बाउण्ड्रीवॉल निकाली हुई है एवं एक बडा गेट भी गायों के बाडे का लगाया हुआ है। जहां तक प्रार्थी संख्या एक द्वारा उपरोक्त निगरानी अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्व इस कारण पेश की गई है कि प्रार्थी संख्या 01 के पिता के विरूद्व अप्रार्थी संख्या 01 ने बहैसियत सरपंच एक फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना सुमेरपुर मे दर्ज करवाया था। जिसके सी.आर.न. 193/2019 तारीख 28.04.2019 है, जो मुकदमा अंतर्गत धारा 332, 353, 427, 3(1)(द) एवं 3(1)(5) अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत करवाया गया था, जिसका चालान हुआ है, जो सक्षम न्यायलय में विचाराधीन है। जिस कारण प्रार्थी संख्या 01 नरपतसिंह अप्रार्थी संख्या 01 से नाराज होने से उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व पेश करने हेतु आया है। प्रार्थी संख्या 02 प्रभुसिंह का ग्राम नेतरा के ठाकुर जी मंदिर के बेरा की जमीन पर नाजायज कब्जा था, जिसको छुडवाया गया, जिससे प्रार्थी संख्या 02 प्रभुसिंह, अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व है एवं इसी कारण उसने प्रार्थी संख्या एक से लिकर गलत व झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या तीन एवं अप्रार्थी संख्या एक के वार्ड पंच फौजदारी मुकदमें हुये एवं सिविल कोर्ट में प्रार्थी संख्या तीन धन्नाराम ने मुकदमा किया जो खारिज हो गया एवं पंचायत ने कार्यवाही कर आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खाली करवाया जिससे नाराज होने से अप्रार्थी संख्या एक के विरूद्व अन्य प्रार्थीगण से मिलकर गलत व झूठा प्रकरण दर्ज करवाया हैं। इसी पकार प्रार्थी संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

चार जो प्रार्थी संख्या तीन धन्नाराम मीणा के परिवार का होने से उसने भी प्रकरण दर्ज करवाया। प्रार्थी संख्या पांच पुनाराम मेघवाल जब ग्राम पंचायत नेतरा के सरपंच की हैसियत से अप्रार्थी संख्या एक ने पत्थर की पट्टीयों से यानि खरंजा कार्य करवाने लगा तब उस कार्य में प्रार्थी संख्या पाँच ने रूकावटें पैदा की, जिस बावत् अप्रार्थी संख्या एक द्वारा एक फौजदारी मुकदमा सीआर नं. 232 दिनांक 03.08.2002 को पुलिस थाना सुमेरपुर में दर्ज करवाया। इन सभी हालात में तमाम प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या एक से रजिश रखने की वजह से गलत व झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है।

4. प्रार्थना पत्र का पद संख्या चार गलत होने अस्वीकार है। पट्टा संख्या 82 राईका समाज न्याति नौहरा नेतरा के नाम से बनाया गया है जिसमे अप्रार्थी संख्या 01 के व्यक्तिगत हित नहीं है समस्त राईका समाज के लिये उक्त पट्टा विधि अनुसार बनाया गया है।। राईका समाज नेतरा ने 1995 में प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसके आधार पर दर्ज की गई थी उस समय मिसल संख्या 36/97–98 उस समय गेरी देवी सरपंच नहीं थी। लेकिन मौके पर भौतिक रूप से कब्जा राईका समाज का होने से राईका समाज के नाम पट्टा बनाया गया है। इस प्रकार उस समय पेमाराम की पत्नि के कार्यकाल में कोई पट्टा राईका समाज के नाम से जारी नहीं हुआ है।
5. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। पेमाराम स्वयं अपने लिये मौके पर नींव नहीं खुदवा रहा था, न हीं इमारत बनाने पर अमादा हुआ। प्रार्थीगण तमाम ही अप्रार्थी संख्या एक से व्यक्तिगत नाराजगी रखते हुये राईका समाज के नाम वैध तरीके से उनकी कब्जा सुदा भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उसकी प्रार्थीगण ने झूठी शिकायत की थी जिस कारण उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।
6. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 06 गलत होने से अस्वीकार है। राईका समाज नेतरा की तरफ से तारीख 09.09.95 को एक आवेदन ग्राम पंचायत नेतरा को पट्टा बनाने बाबत् पेश किया गया था जिसकी मिसल ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा 36/97–98 में बनी जिसका आवेदन अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नहीं किया गया। राईका समाज नेतरा द्वारा ही प्रार्थना पत्र पेश किया था। बाद में राईका समाज नेतरा की तरफ से अप्रार्थी संख्या एक को राईका समाज का अध्यक्ष बनाया गया एवं उस समय तक पट्टा बनाने की मिसल का काफी कार्य हो चुका था इस प्रकार राईका समाज के नाम का पट्टा जारी किया गया है वह कानूनन वैद्य जारी किया गया है।
7. प्रार्थना पत्र का पद संख्या सात गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार पंचायत द्वारा जो पट्टा जैर निगरानी जी किया गया है वह कानून की पूरी प्रकिया अपनाते हुये जारी किया गया है जिसमें

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

किसी नियम की अवहेलना नहीं की गई है। पंचायत के प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 22.03.2001 को प्रस्ताव पारित किया जाना साबित है उसके आगे अगर कॉलम ग्राम सभा का है तो कानूनन भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जैर निगरानी जारी किया गया है, जो नियमों की पालना में जारी किया गया है।

8. प्रार्थना–पत्र का पद संख्या आठ गलत होने से अस्वीकार है। पंचायत राज नियम 148 (1) में आक्षेप आमत्रण करने का नोटिस सार्वजनिक जगहों पर चस्पानगी की कार्यवाही सही तरीके से की जाना, नोटिस की पुश्त पर अंकित है। न्याति नोहरा नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि नोटिस जारी ही नहीं किया गया हो। नोटिस गांव के चौहटे पर चस्पा किया और कानूनी प्रकिया नियम 149 पंचायत राज पत्र की पालना की गयी है। गवाहों के बयान में कोई विरोधाभाष नहीं है और न ही बयान गलत लिये गये है। राईका समाज नेतरा की पत्रावली सन् 1995 से विचाराधीन है और उसमें जो प्रकिया अपनायी गयी है वह कानून के तहत अपनाई गयी प्रकिया है। गायों के बैठने की जगह को गायो के बाडे के रूप में नहीं देखा जा सकता है। गायों के बाडे हेतु अलग से पंचायत द्वारा भूमि सीमांकन की हुयी है। इस प्रकार पट्टा जैर निगरानी करने में कोई अनियमितता नहीं होने से निगरानी काबिल खारिज है।

9. प्रार्थना पत्र का पद संख्या नौ गलत होने अस्वीकार है। प्रस्ताव संख्या 11 में समस्त राईका समाज नेतरा का कब्जा पुश्तैनी रूप से था जिसका उपयोग राईका समाज द्वारा किया जाता था। गहरी देवी सरपंच के कार्यकाल में उसकी परिवार के रूप में या सरपंच के हित में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है और सार्वजनिक हित हेतु राईका समाज की तरफ से किसी ने कार्यवाही कर पट्टा बनवाया है तो वह कानून सम्मत पट्टा जारी किया गया हैं। जिस जगह का पट्टा बनाया गया है वह पुरा राईका समाज का मौहल्ला है और पेमाराम को अगर राईका समाज में अध्यक्ष का दायित्व दिया तो समाज हित हेतु उसने कार्यवाही की है।

10. प्रार्थना पत्र का पद संख्या दस गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान पंचायत राज नियम 157 ख में जो निर्धारित दरे प्रार्थीगण ने बतायी है ऐसा कोई नियम व कानून नहीं है। प्रार्थीगण ने जो भी दर बतायी है वह सरासर गलत व झूठी है। ग्राम नेतरा में राजपुरोहित समाज के 9 न्याति नोहरे है इस बाबत् किसी प्रार्थीगण को ऐतराज नहीं है। लेकिन राईका समाज के न्याति नोहरे बाबत ऐतराज कर रहे है जबकि 75 घर देवासियों के है तथा 3 घर मीणा समाज के हैं इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से इस प्रकरण में विवरण दर्ज करते हुये निगरानी पेश की गयी है। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कलेक्टर के आदेश से नियम 162(2) के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

11. प्रार्थना पत्र का पद संख्या ग्यारह गलत होने से अस्वीकार है। पट्टा निशुल्क जारी करने का कथन सरासर गलत व झूठा है। पंचायत राज नियम 162(2) के तहत कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के समूह को या समाज को राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर की स्वीकृति से पट्टा जारी किया जा सकता है। राईका समाज पिछडा वर्ग होने से एवं कमजोर समाज होने से रियायत दर पर पट्टा जारी किया जा सकता है। वैसे रियायती दर पर निम 157 (2) के तहत व्यक्तिगत रूप से कमजोर तबके के व्यक्ति को पट्टा जारी करने का प्रावधान है, पंचायत के स्वविवेक के आधार पर पंचायत पट्टे जारी कर सकती है। जहां तक राईका समाज के नाम पट्टा जारी करने का सवाल है तो राईका समाज के नाम पट्टा बनाने की मिसल सन् 2002 में पूर्ण हो चुकी थी लेकिन राईका समाज के ज्यादातर लोग भेड बकरिया लेकर अपने घरो से बाहर चले जाते हैं एवं अकाल के कारण कई वर्षों तक नहीं आते है। राईका समाज नेतरा समाज के लागे सामाजिक समारोह में जब गांव में इकठ्ठे हुये तब ध्यान में आया कि समाज के नाम का पट्टा अभी नहीं बना है तो दुबारा प्रार्थना–पत्र पेश किया और उसमें राशि जमा करवा दी तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है न ही पूर्व की पत्रावली को खारिज किया गया था। इस प्रकार पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जो सही जारी किया गया है।

12. प्रार्थना पत्र का पद संख्या बारह गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जैर निगरानी निःशुल्क जारी नहीं किया गया है बल्कि रियायती दर पर कब्जा सुदा भूमि का पट्टा जारी किया गया है जो सही जारी किया गया है।

13. प्रार्थना पत्र का पद संख्या तेरह व चौदह कानूनी है।

14. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 15 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण की उपरोक्त निगरानी स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से काबिल खारिज है क्योंकि पट्टा जारी होने के समय से पट्टे बाबत् प्रार्थीगण को जानकारी है।

अतः अपील निगरानी का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त निगरानी पेश करने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने सरासर गलत व झूठे निगरानी/अपील पेश की हैं जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत नेतरा से तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या दो सरपंच ग्राम पंचायत नेतरा की ओर से सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उपस्थित हुए, किन्तु निगरानी का जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314 / 2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टा दिनांक 10.10.2014 विधि विरुद्ध है क्यों कि अव्वल तो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में जाति विशेष या समाज विशेष को पट्टा जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है और आलोच्य प्रस्ताव दिनांक 20.07.2002 के समय तत्कालीन सरपंच श्रीमती गेरीदेवी द्वारा अपने पति एवं अप्रार्थी संख्या एक श्री पेमाराम के पक्ष में यह विक्रय विलेख जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। द्वितीयतः , 'राईका समाज न्याति नोहरा' नाम से कोई संगठन अस्तित्व मे नहीं है। ऐसी कोई संस्था न तो रजिस्टर्ड है और न ही अप्रार्थी श्री पेमाराम को अध्यक्ष नियुक्त करने बाबत कोई अधिकृत पत्र इत्यादि है। काबिल अधिवक्ता निगरानीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि जैर आलोच्य पट्टे से संबंधित भूखण्ड ग्राम नेतरा की गायों के बाड़े के रुप में उपयोग होता आया है, जिसका तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने पति एवं जाति समाज के नाम ग़लत ढंग से पट्टा जारी किया गया है। यह भी, कि प्रस्ताव जारी करने के बाद 12 वर्ष के असामान्य अवधि अन्तराल उपरान्त आलोच्य पट्टा जारी करने से भी पट्टा स्वतः ही वैधानिक रुप से शून्य हो जाता है। काबिल अधिवक्ता ने यह भी ज़ाहिर किया किया कि कार्यवाही के दौरान बयानों इत्यादि में राईका समाज का कब्जा बताया, किन्तु कब्जे की अवधि या कब्जे के प्रकार आदि के संबंध में कोई विवरण दर्ज नहीं है। आलोच्य पट्टा भी नियम 157 की बजाए नियम 158 में जारी किया गया, जबकि प्रारम्भिक कार्यवाही नियम 157 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। यह भी, कि आलोच्य मिसल की अन्तिम आदेशिका में कांट–छांट है। बहस को समेकित करते हुए अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा ग्राम की गायों हेतु उपयोग में आने वाली सार्वजनिक भूमि पर जारी होने एवं सम्पूर्ण कार्यवाही में पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने से इसे खारिज घोषित किया जाए। काबिल अधिवक्ता निगरानीपक्ष ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये:–

1. Usha vs. State of Raj. (H.C.), 13.03.2008
2. Issack khan vs. State of Raj (H.C.), 23.10.2008
3. Looni Devi vs. State of Raj. (H.C.), 26.02.2015

अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस के दौरान जवाबपत्र में अंकित तथ्यों को इंगित करते हुए निवेदन किया कि निगरानीकर्ता एक लगाय पाँच विचाराधीन प्रकरण में 'हितबद्ध पक्षकार' नही है अपितु श्री पेमाराम के विरुद्ध व्यक्तिगत रंजिश के कारणवश उनके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य फौज़दारी विवाद हो चुके है, जिनसे संबंधित F.I.R. इत्यादि दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न है।

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

यह, कि आलोच्य भूखण्ड पर परम्परागत रुप से राईका समाज का ही कब्जा था और उनके द्वारा सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि में इस भूखण्ड का उपयोग उपभोग निरन्तर किया जा रहा है। जिसका पट्टा बनाने हेतु सर्वप्रथम दिनांक 09.09.1995 को राईका समाज द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उक्त आवेदन पर वैधानिक ढंग से मिसल संख्या 36/97-98 कायम की गई एवं नियम 146 की पूर्वापेक्षा में भूमि निरीक्षण, नियम 148 के प्रावधानानुसार आपत्ति इश्तिहार इत्यादि सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित कर दिनांक 22.07.2002 को ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 22 के द्वारा यह विक्रय विलेख राईका समाज न्याति नोहरा अध्यक्ष श्री पेमाराम के पक्ष में जारी करने का निर्णय लिया गया। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि निगरानीकर्ता का यह आक्षेप आधारहीन है कि ज़ेर आलोच्य भूखण्ड गायों के बाड़े के रुप में उपयोग होता है। गायों का बाड़ा उक्त भूखण्ड के पास पृथक से स्थित है, जिसकी बाउन्ड्रीवॉल इत्यादि का कार्य स्वंय ग्राम पंचायत द्वारा करवाया गया है। ज़ेर आलोच्य भूखण्ड राईका समाज की बसावट के मध्य स्थित होने एवं उनके द्वारा परम्परागत रुप से सामाजिक आयोजनों इत्यादि हेतु इसका उपयोग एवं कब्जा होने से ही उनके पक्ष में आलोच्य विक्रय विलेख जारी किया गया है।

यह भी, कि प्रार्थीगण एवं अन्य किसी ग्रामवासी द्वारा तत्समय नियम 148 में जारी आपत्ति इश्तिहार के प्रत्युतर में कोई आपत्ति-ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी श्री पेमाराम से राजनीतिक रंजिशवश अब यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसका निगरानीकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। काबिल अधिवक्ता ने यह भी ज़ाहिर किया कि वर्ष 2013 से पूर्व नियम 157 में क्षेत्रफल संबंधि सीमा निर्धारित नहीं होने से नियम 158 के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवंटन के रुप में हस्तगत विक्रय विलेख राईका समाज के लिए जारी किया गया और राईका समाज कमजोर सामाजिक वर्गों में शुमार होने से आलोच्य पट्टा वैध है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका के पद संख्या 10 में त्रुटिपूर्ण ढंग से राशि अंकित की है जो कि वास्तविकता में नियम 158 में जनसंख्या के रुप में वर्णित है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह ज़ाहिर किया कि पट्टाधारी राईका समाज सामाजिक एवं शैक्षणिक रुप से पिछड़ा होने के कारण अधिकतर आजीविका हेतु बाहर प्रवास में रहते है। इसी कारण संकल्प संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 की अनुपालना में विक्रय विलेख हेतु निर्धारित शुल्क तत्समय जमा नहीं करवा सके। जैसे ही शुल्क जमा करवाया गया, उसी समय दिनांक 10.10.2014 को आलोच्य पट्टा संख्या 82 उनके पक्ष में जारी किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

P.T.O.

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि जैर–निगरानी आलोच्य पट्टा उपपंजीयक कार्यालय में दिनांक 09.06.2015 को पंजीबद्ध हो चुका है एवं पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है।

यह भी, कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 162 (2) में भी समाज के कमजोर वर्गों हेतु आबादी भूमि आवंटन के प्रावधान हैं एवं प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 के द्वारा उक्त पट्टा जारी करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जो कि पत्रावली में सलंग्न है।

काबिल अधिवक्ता ने बहस के अन्त में हस्तगत निगरानी याचिका को राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित एवं वैधानिक दृष्टि से सारहीन बताकर इसे खारिज करने का निवेदन किया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया :–

1. State of Raj. Vs. Parvati Devi (H.C.), 01.11.2017

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। निगरानी याचिका, जवाबपत्र, ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड तथा सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों पर ससम्मान मनन किया गया। **पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा बहस के दौरान उठाए गए तथ्यों के आलोक में हस्तगत निगरानी का बिन्दुवार विश्लेषण निम्नानुसार है:–**

1. निगरानी याचिका के पद संख्या तीन में प्रार्थीगण द्वारा ज़ैर निगरानी भूखण्ड को गायों के बैठने की पूर्व से ही सार्वजनिक जगह तथा गायों का बाड़ा होना अंकित किया है। इसके प्रत्युतर में जवाबपत्र के पद संख्या आठ में अप्रार्थी श्री पेमाराम द्वारा यह अंकित किया गया है कि गायों के बैठने की जगह को गायों के बाड़े के रुप में नहीं देखा जा सकता है। गायों के बाड़े हेतु अलग से पंचायत द्वारा भूमि सीमांकन की हुई है। बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने ज़ाहिर किया कि गायों का बाड़ा उक्त भूखण्ड के समीपस्थ लगता हुआ स्थित है, जिस पर ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है। प्रमाणस्वरुप फोटोग्राफ शामिल पत्रावली है।
   इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा याचिका के सलंग्न अथवा बहस के दौरान ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो इस तथ्य की पुष्टि कर सके कि जैर निगरानी भूखण्ड परम्परागत रुप से गायो के बाड़े के रुप में उपयोग हो रहा है। इसके विपरित, अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ में गायो के बाड़े को आलोच्य भूखण्ड के समीप

Scanned with OKEN Scanner

इंगित कर ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित चारदीवारी के दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए गए है।

किन्तु यहाँ यह अंकन करना महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित प्रकरण के मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 36/97–98 में सलंग्न मूल आवेदन तथा आपत्ति इश्तिहार दिनांक 14.12.2001 में विवादग्रस्त भूखण्ड की दक्षिण दिशा में " पंचायत भूमि गायो का बाड़ा" अंकित है, किन्तु आलोच्य पट्टा संख्या 82 दिनांक 10.10.2014 की पुश्त पर अंकित चतुर्दशी में उक्त 'गायों का बाड़ा' को विलोपित कर रास्ता अंकित कर दिया गया है। उक्त विलोपन का कोई ठोस कारण न तो मूल मिसल संख्या 36/97–98 में उपलब्ध है और न ही पट्टाधारी श्री पेमाराम ने इसका कोई ठोस आधार प्रस्तुत किया है। विवादग्रस्त भूखण्ड पट्टा दिनांक 10.10.2014 की चतूर्दशी में भूखण्ड की चारों दिशाओं में 'रास्ता' अंकित किया गया है। इससे प्रथमदृष्टया ही यह प्रतीत होता है कि विवादग्रस्त भूमि गांव की सार्वजनिक भूमि है।

2. निगरानीयाचिका के पद संख्या 04 एवं 09 में यह आक्षेप अंकित किया गया है कि राइका समाज न्याति नोहरा के नाम से कोई रजिस्टर्ड संस्था अस्तित्व में नहीं है एवं आलोच्य संकल्प संख्या 22 (दिनांक 20.07.2002) के द्वारा तत्कालीन सरपंच श्रीमती गेरीदेवी ने अपने पति अर्थात अप्रार्थी श्री पेमाराम को राईका समाज का अध्यक्ष बताकर अपने परिवारजन के नाम अवैधानिक ढंग से विक्रय विलेख जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।

इसके प्रत्युतर में अप्रार्थी श्री प्रेमाराम ने जवाबपत्र के पद संख्या 6 एवं 09 में अंकित किया है कि पट्टा बनाने हेतु आवेदन उनके द्वारा नहीं, अपितु राईका समाज नेतरा द्वारा दिनांक 09.09.1995 को प्रस्तुत किया गया था और बाद में राईका समाज नेतरा की तरफ से अप्रार्थी संख्या एक को राईका समाज का अध्यक्ष बनाया गया। आवेदन प्रस्तुति के समय उनकी पत्नी सरपंच नहीं थी।

इस संबंध में मूल मिसल संख्या 36/97–98 तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करना समीचीन होगा। आलोच्य पट्टा संख्या 82 दिनांक 10.10.2014 "राईका समाज न्याति नोहरा अध्यक्ष श्री प्रेमाराम पुत्र नेतीराम जी" के नाम से जारी किया गया है। जबकि मिसल के सलंग्न मूल आवेदन में कहीं भी इस संस्था का नाम अंकित नहीं है उक्त आवेदन में कहीं भी अप्रार्थी श्री प्रेमाराम को इस निमित अध्यक्ष के रुप में नामित एवं अधिकृत भी नहीं किया गया है। मूल आवेदन में श्री प्रेमाराम के नाम के नीचे अंकित मुहर में भी अध्यक्ष पद का अंकन नहीं होकर वार्डपंच संख्या दो अंकित है। साथ ही, मिसल 36/97–98 में 'राईका समाज न्याति नोहरा' नाम से कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कार्यवाही विवरण, कार्यकारी समिति का गठन आदेश अथवा अध्यक्ष पद हेतु अप्रार्थी श्री प्रेमाराम के मनोनयन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024
उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

संबंधि आदेश जैसा कोई भी दस्तावेज सलंग्न नहीं है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा भी पट्टाधारी राईका समाज न्याति नोहरा अध्यक्ष श्री प्रेमाराम पुत्र नेतीराम जी के समर्थन में उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है।

दिनांक 09.09.1995 को प्रस्तुत मूल आवेदन में विवादग्रस्त भूखण्ड राईका समाज की बैठक अथवा शादी समारोह में उपयोग में आने से इस पर न्याति नोहरा निर्माण हेतु राईका समाज को पट्टा देने की मांग की गई थी, जिस पर अप्रार्थी के अतिरिक्त अन्य लोगों के भी हस्ताक्षर है। अर्थात् उक्त आवेदन में ऐसी किसी संस्था अथवा अध्यक्ष का कोई उल्लेख नही है।

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उक्त प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 में यह अंकन नहीं किया गया कि उक्त पट्टा किसके नाम से जारी किया जाए न ही प्रस्ताव संख्या 39 दिनांक 20.08.2013 में ऐसा कोई उल्लेख अंकित है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा समाज विशेष के व्यक्तियों के अमूर्त समूह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बिना किसी दस्तोवेजी आधार के एक काल्पनिक संस्था एवं अध्यक्ष के नाम पट्टा जारी किया गया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में व्यक्तियों के समूह के पक्ष में इस रीति से विक्रय विलेख निष्पादित करने से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान उपबन्धित नहीं है।

3. इस स्तर पर ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 82 दिनांक 10.10.2014 के संबंध में अपनाई गई सम्पूर्ण कार्यवाही का अवलोकन एवं विश्लेषण करना प्रासंगिक है।

(i) दिनांक 09.09.1995 को प्रस्तुत मूल आवेदन पर दो वर्ष से भी अधिक समय बाद अर्थात् दिनांक 13.01.1998 को मिसल संख्या 36/97–98 कायम की गई।

(ii) मिसल कायम होने की दिनांक 13.01.1998 के लगभग डेढ़ वर्ष बाद आदेशिका दिनांक 30.05.1999 से तीन पंचों की समिति का गठन कर मौका निरीक्षण कराने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश में तीन पंचों का नाम अंकित नहीं है। अप्रार्थी द्वारा उक्त के संबंध में तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी एक आदेश की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश क्रमांक/1999/sp1-3 दिनांक 05.05.1999 एवं तीन वार्डपंचों (क्रमशः आम सिंह, श्री प्रेमाराम एवं श्री भीकाराम) को जैर मिसल 36/97–98 के स्थल निरीक्षण हेतु नियुक्त करने का अंकन है।

महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई पत्र ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 36/97–98 में सलंग्न उपलब्ध नहीं है। जो उक्त पत्र की वैधानिकता एवं प्रामणिकता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर वाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली
P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

को सन्देह के घेरे में लाता है। मिसल में उपलब्ध स्थल निरीक्षण प्रपत्र में भी उपरोक्त तीन पंचों की बजाए दो वार्डपंचों के ही हस्ताक्षर है। एवं नीचे सरपंच के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त दो निरीक्षणकर्ता वार्डपंचों में से एक पंच स्वयं अप्रार्थी श्री प्रेमाराम है।

सारांशतः अप्रार्थी श्री प्रेमाराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उन्हीं को भूमि निरीक्षण हेतु अधिकृत कर उन्हीं के नाम आलोच्य पट्टा जारी कर दिया गया, जबकि नियुक्ति आदेश क्रमांक / 1999 / sp1-3 दिनांक 05.05.1999 ग्राम सचिव द्वारा हस्ताक्षरित न होकर सरपंच के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

उपरोक्त तथ्य जैर निगरानी पट्टे की सम्पूर्ण कार्यवाही की निश्पक्षता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करते है।

(iii) भूमि निरीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करने के लगभग दो वर्ष के असामान्य अन्तराल के उपरान्त जरिए प्रस्ताव संख्या 32 दिनांक 20.03.2001 के आलोच्य भूखण्ड के संबंध में नियम 148 के अन्तर्गत आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया एवं पुनः असामान्य विलम्ब कारित करते हुए उक्त संकल्प के नौ माह बाद दिनांक 14.12.2001 को आपत्ति इश्तिहार जारी कर एक माह की अवधि में आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई। आपत्ति इश्तिहार की नियत अवधि के छह माह उपरान्त प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 के द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया।

(iv) महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 द्वारा विक्रय जारी करने की स्वीकृति प्रदान करने के बारह वर्ष बाद आलोच्य पट्टा दिनांक 10.10.2014 को निष्पादित किया गया। इस असामान्य विलम्ब हेतु कारण स्पष्ट करते हुए अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान अवगत कराया कि राईका समाज अशिक्षित होने एवं आजीविका हेतु अन्यत्र प्रवास पर रहने से निर्धारित शुल्क राशि 1240/– रुपये समय पर जमा नहीं करवा पाए। उक्त राशि दिनांक 10.10.2014 को जमा कराने पर पट्टा उसी दिन जारी कर दिया गया। अप्रार्थीपक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया कि पट्टा जारी करने से पूर्व जरिए प्रस्ताव संख्या 39 दिनांक 20.08.2013 के इस हेतु ग्राम पंचायत से पूर्वानुमोदन भी प्राप्त किया गया था।

यह तो स्पष्ट है कि 12 वर्ष का अवधि अन्तराल कोई सामान्य विलम्ब नहीं है। इतनी लम्बी अवधि के दौरान आलोच्य भूखण्ड की मौका स्थिति के संबंध में परिवर्तन भी संभावित है और आपत्ति इश्तिहार दिनांक 14.12.2001 को जारी करने के लगभग तेरह वर्ष बाद पट्टा जारी करने से इस सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस अवधि के दौरान उक्त भूखण्ड को लेकर नए उजर–ऐतराज भी उत्पन्न हुए हो। किन्तु ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा

अति... बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.07.2002 के संकल्प संख्या 22 को आधार बनाकर (जिसका पट्टे में भी अंकन है) बारह वर्ष बाद पट्टा जारी करने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में नहीं लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 39 दिनांक 20.08.2013 के द्वारा उक्त विलम्ब अवधि में छूट एवं ब्याज माफी किन नियमों के तहत प्रदान की गई, इसका उल्लेख न तो उक्त बैठक कार्यवाही विवरण में है और न अप्रार्थी पक्ष द्वारा ही स्पष्ट किया गया।

(v) राईका समाज न्याति नौहरा अध्यक्ष श्री प्रेमाराम के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा संख्या 82 बमाप 2700 वर्गफीट राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अधीन जारी किया गया है। **उक्त नियम 158 के अवलोकनमात्र से स्पष्ट होता है कि इस नियम के अन्तर्गत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवासीय एवं दुकान (नियम 158(6)) प्रयोजनार्थ ही आवंटन अनुमत है।** मिसल संख्या 36/97–98 में सलंग्न मूल आवेदन में प्रश्नगत भूमि का पट्टा इस आधार पर मांगा गया है कि राईका समाज द्वारा बैठक एवं शादी समारोह में उक्त भूखण्ड का तथाकथित उपयोग करते है। प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 में भी यह अंकन है कि ".....राईका समाज राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछडे वर्ग की सूची में शुमार है जिसका राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ है, अतः इस समाज के बैठक सास्कृतिक रीति रिवाज एवं सभा आदि के लिए भूमि उपलब्ध कराना न्यायोचित है.....।"

स्पष्ट है कि जैर निगरानी आलोच्य पट्टा आवासीय प्रयोजनार्थ न होकर सामाजिक एवं सास्कृतिक उदेश्यों की पूर्ति के उदेश्य से जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 158 में सामाजिक उदेश्यों हेतु भूमि आवंटन अनुमत नहीं है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि आलोच्य पट्टा संख्या 82 की शर्त संख्या 2 एवं 6 में इसे आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग करना निर्देशित भी किया गया है। अतः नियम 158 के अन्तर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रयोजनार्थ आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने वाला प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 अवैधानिक एवं निरस्त योग्य है।

(vi) उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त इस तथ्य का उल्लेख करना भी समीचीन है कि ग्राम पंचायत नेतरा की बैठक दिनांक 20.07.2002 के प्रस्ताव संख्या 22 में प्रस्तावित पट्टे का माप 333.33 वर्गगज एवं भुगतान योग्य शुल्क राशि 1667/–रु अंकित की गई है। किन्तु मिसल 36/97–98 की आदेशिका दिनांक 20.07.2002 में कांट–छांट एवं ओवरराईटिंग कर क्षेत्रफल 300 वर्गगज एवं शुल्क 1240/–रूपये अंकित कर दिया गया। मिसल के संलग्न नक्शा, भूमि निरीक्षण प्रपत्र में भी क्षेत्रफल में कांट–छांट स्पष्ट दृष्टिगोचर है, जो सम्पूर्ण कार्यवाही पर सन्देह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

(vii) अप्रार्थीपक्ष ने जवाबपत्र के पद संख्या दस में अंकित किया है कि "प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कलेक्टर के आदेश से नियम 162(2) के तहत रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है जिसमें कोई अनियमितता नही है।"

इस संबंध में रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा नियम 158 में जारी है, न कि नियम 162(2) के अन्तर्गत। नियम 162(2) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से रियायती या निशुल्क आवंटन को उपबन्धित करता है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा एक आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/sp2-4 दिनांक 13.12.2001 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 द्वारा प्रस्तावित भूमि का पट्टा समस्त राईका समाज नेतरा को रियायती दर पर देने की ग्राम पंचायत को स्वीकृति प्रदान करना प्रतीत होता है। प्रथमतः, तो उक्त दस्तावेज की प्रमाणित या असल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है एवं फोटोप्रति साक्ष्य के रुप में ग्राह्य नहीं है। द्वितीयतः, यदि उक्त दस्तावेज की प्रामणिकता को सत्य मान भी लिया जाए तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त आदेश किस अधिकारी द्वारा और किस पदीय हैसियत से जारी किया गया है। अतः अप्रार्थीपक्ष का उपरोक्त तर्क भी परिपोषणीय सिद्ध नहीं होता है।

(viii) अप्रार्थीपक्ष ने प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने कब्जें के प्रमाण के रुप में शासन के विभिन्न स्तरों पर भेजे गए पत्र एवं सरपंच, ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा दिनांक 02.06.1981 को जारी कब्जा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रमाण पत्र की नोटरी सत्यापित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दस्तावेज में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि उक्त प्रमाण पत्र किन नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया है। उक्त कब्जा प्रमाणपत्र पर ग्राम सचिव के स्थान पर सरपंच के हस्ताक्षर है एवं यह भी कहीं अंकित नहीं है कि ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा के किस प्रस्ताव या संकल्प अथवा जांच रिपोर्ट के आधार पर इसे जारी किया गया है।

(ix) अप्रार्थीपक्ष ने अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा दिनांक 09.06.2015 को उपपंजीयक कार्यालय सुनेरपुर में पंजीबद्ध करवाया गया है और पट्टा पंजीबद्ध होने से उसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। इस कारण हस्तगत निगरानी खारिज की जाए। इस संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

Issak Khan Vs. State of Rajasthan (D.B.Spl. Appl. Writ no. 918/2017) का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण को दिनांक 23.10.2018 को निर्णित करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
दातो, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

" Lastly, coming to the effect of registration of the patta issued by the gram panchayat, suffice it to say that the registration of the document by itself does not confer any title over the property and thus, if the patta on the strength of which appeallant was claming right over the disputed land, is found to be illegal and void, the state government exercising revisional power under section 97 of the act, was well within its jurisdiction in annulling the decision of the gram panchayat......."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य प्रकरण ' Bhagirath ram Vs. State of Raj. (2020(1) RRT 556) में इसी बिन्दु पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

" The Provision of the act and Rules providing for appeal against various orders including the order of issuing patta, merely because the same stood registered, can not take away jurisdiction of the appeallate forum."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अप्रार्थीपक्ष का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि पंजीबद्ध हो जाने के कारण आलोच्य पट्टे के विरुद्ध न्यायालय हाजा को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

(x) साराशतः, ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा किसी समाज विशेष के व्यक्तियों के अमूर्त समूह के आवेदन पर बिना दस्तावेजी आधारों के किसी काल्पनिक संस्था एवं अध्यक्ष के नाम 12 वर्षो के अकारण एवं असामान्य विलम्ब उपरांत पट्टा जारी करना एवं उक्त आलोच्य पट्टा सामाजिक एवं सास्कृतिक प्रयोजन की पूर्ति हेतु नियम 158 के अन्तर्गत आवासीय उपयोग हेतु जारी करना, जिसमें कि पट्टाधारी को ही भूमि निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया, तथा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों में अवांछित कांट–छांट होना आदि कारणों से ज़ैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002 एवं पट्टा संख्या 82 दिनांक 10.10.2014 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के वैधानिक प्रावधानों के आलोक में विधिसम्मत एवं प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। गांव की सार्वजनिक भूमि का उक्त अवैधानिक प्रक्रिया द्वारा जारी पट्टा विधि की दृष्टि में शून्यकरणीय है।

चूंकि हस्तगत निगरानी गांव नेतरा की सार्वजनिक भूमि से संबंधित है, अतः अप्रार्थीपक्ष के जवाबपत्र के पद संख्या तीन में उल्लेखित अप्रार्थी का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है कि निगरानीकर्ता उक्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार नहीं है।

अतः उपरोक्त वजूहातों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 स्वीकार की जाती है तथा मिसल संख्या

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 314/2024

उनवान : नरपतसिंह व अन्य बनाम पेमाराम व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

36/97–98 के संबंध में ग्राम पंचायत नेतरा का प्रस्ताव संख्या 22 दिनांक 20.07.2002, प्रस्ताव संख्या 39 दिनांक 20.08.2013 तथा सरपंच, ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा आलोच्य भूखण्ड के संबंध में जारी निर्माण अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक/1514 दिनांक 06.10.2013 एवं निर्माण अनुमति अनापति प्रमाण पत्र क्रमांक/270 दिनांक 18.11.2019 तथा अनुषंगी संकल्प अवैधानिक होने के कारण निरस्त किए जाते हैं तथा राईका समाज न्याति नौहरा अध्यक्ष श्री प्रेमाराम पुत्र नेतीराम जी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 82 (बुक संख्या 347) दिनांक 10.10.2014 को अपास्त किया जाता है।

अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबपत्र के पद संख्या 10 में उल्लेखनुसार यदि ग्राम पंचायत नेतरा में अन्य समाजों के न्याति नौहरा के अवैधानिक स्वामित्वाधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अप्रार्थीगण उनके विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 एवं धारा 97 के अन्तर्गत अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

चूंकि विवादग्रस्त भूखण्ड गांव की सार्वजनिक भूमि है अतः उभयपक्ष को निर्देश दिए जाते है कि जैर आलोच्य भूखण्ड पर किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं करें और न ही अनाधिकृत कब्जें का प्रयत्न करते हुए मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करें।

निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, प.स. सुमेरपुर एवं ग्राम पंचायत नेतरा को पालनार्थ प्रेषित की जाए। अधीनस्थ ग्राम पंचायत नेतरा द्वारा पत्रांक/2025/15 दिनांक 27.01.2025 द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड पुनः लौटाया जाए।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
वाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर वाली (पाली)